(52)

प्रपत्र–23

Name of Project :-- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में ग्राम पंचायत--रिखौली के हल्दूवाला से ग्राम पंचायत चौकी बिरावड़ी तक सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली 1.0752 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम चौकी
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में ग्राम पंचायत–रिखौली के हल्दूवाला से ग्राम पंचायत चौकी बिरावड़ी तक सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली 1.0752 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.4235 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.6570 हे0, वन पंचायत भूमि शून्य हे0) अर्थात कुल 1.0752 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चौकी बिरावड़ी द्वारा दिनांक 05/5/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौकी बिरावड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र न्याय/ग्राम पंचायत
वि0खण्ड–सहसपुर, देहरादून
ह0/–
ग्राम सचिव

जिला पंचायत सदस्य
21 सुद्धोवाला
विकास खण्ड सहसपुर देहरादून

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Photo Copy Attested

(53)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 05/5/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चौकी

क्र.सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	अनील कुमार	[signature]
	सुनेता (?)	सुनेता (?)
	मीना देवी	मीना
	सुनीता	सुनीता देवी
	दिपक कुमार	दिपक कुमार
		ज्योति

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र न्याय / ग्राम पंचायत
वि0खण्ड–सहसपुर, देहरादून

जिला पंचायत सदस्य
21 सुद्धोवाला
विकास खण्ड सहसपुर देहरादून

ह0 /
ग्राम प्रधान

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Provl. Divn. P.W.D.
Dehra Dun.

प्रपत्र–23

Name of Project :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में ग्राम पंचायत–रिखौली के हल्दूवाला से ग्राम पंचायत चौकी बिरावड़ी तक सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली 1.0752 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम हरियावाला कलां

तहसील विकासनगर, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में ग्राम पंचायत–रिखौली के हल्दूवाला से ग्राम पंचायत चौकी बिरावड़ी तक सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली 1.0752 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.4235 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.6570 हे0, वन पंचायत भूमि शून्य हे0) अर्थात कुल 1.0752 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चौकी बिरावड़ी द्वारा दिनांक 02/05/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौकी बिरावड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र न्याय/ग्राम पंचायत
वि0खण्ड–सहसपुर, देहरादून

जिला पंचायत सदस्य
21 सुद्धौवाला
विकास खण्ड सहसपुर देहरादून

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Photo Copy Attested

(55)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 02/5/15 .... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत हरिपावाला बल्ला

क्र.सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमती गीता देवी - - उपप्रधान	गीता देवी
2.	श्रीमती बबली देवी पं० सदस्य	बबली देवी
3.	" बाला देवी — —	बाला देवी
4.	श्री सन्दीप कुमार —	सन्दीप
5.	कु० प्रीती	Preeti
6	श्रीमती निर्मला देवी बिष्ट . पं. सदस्य	निर्मला
7	श्री रोशन लाल चमोली . पं.. सदस्य	रोशन लाल
8.	" मनोज चौहान पं. सदस्य	[illegible]
9.	" गोवर्धन — चौलास	गोवर्धन
10	" किशन लामा . चौलास	किशन [illegible]
11	श्रीमती सुमन [illegible] - —	सुमन देवी
12	" अनिता नेगी (पूर्व प्रधान)	अनिता नेगी
13	श्री अर्जुन सिंह लामा पूर्व उपप्रधान	[illegible]
14	श्री प्रेमासिंह बिष्ट चौलास	प्रेमासिंह
15	" त्रिलोकसिंह रावत चौलास	T. Rawat

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र न्याय / ग्राम पंचायत
वि0खण्ड–सहसपुर, देहरादून

जिला पंचायत सदस्य
21 सुद्धोवाला
विकास खण्ड सहसपुर देहरादून

ह0 / –
ग्राम प्रधान

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Provl. Divn. P.W.D.
Dehra Dun.

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में ग्राम पंचायत–रिखौली के हल्दूवाला से ग्राम पंचायत चौकी बिरावड़ी तक सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली 1.0752 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, विकासनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर

उपखण्ड सहसपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में ग्राम पंचायत–रिखौली के हल्दूवाला से ग्राम पंचायत चौकी बिरावड़ी तक सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली 1.0752 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण। आरक्षित वन भूमि, 0.4235 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.6517 हे0 वन पंचायत भूमि शून्य कुल 1.0752 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, देहरादून प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील विकासनगर) की दिनांक 07.05.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मोहन सिंह बर्निया, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री मोहन सिंह बर्निया उपजिलाधिकारी विकासनगर अध्यक्ष

2– श्री गुलबीर सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून न प्रभाग देहरादून सदस्य

3– श्री आर0एस0 राणा सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहसपुर सदस्य/सचिव

4– श्रीमती गीता देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र चौकी धौलास सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में ग्राम पंचायत–रिखौली के हल्दूवाला से ग्राम पंचायत चौकी बिरावड़ी तक सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली 1.0752 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण परियोजना हेतु 1.0752 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग, देहरादून प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

57

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सहसपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में ग्राम पंचायत–रिखौली के हल्दूवाला से ग्राम पंचायत चौकी बिरावड़ी तक सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली 1.0752 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु 1.0752 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–विकासनगर.
जनपद– देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–विकासनगर.
जनपद– देहरादून

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Provl. Divn. P.W.D.
Dehra Dun.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 में अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

क्रमांक	समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव का नाम	समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव के हस्ताक्षर मोहर सहित
1	2	3
1.	श्री मोहन सिंह बर्निया उपजिलाधिकारी विकासनगर (अध्यक्ष)	उप जिलाधिकारी विकासनगर
2.	श्री गुलवीर सिंह उपप्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून (सदस्य)	उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून देहरादून वन प्रभाग
3.	श्री आर.एस. राणा सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहसपुर (सदस्य/सचिव)।	सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि० ख० सहसपुर (देहरादून)
4.	श्रीमति गीता देवी बी.डी.सी. सदस्य क्षेत्र पंचायत, चौकी धौलास (सदस्य)	गीता क्षेत्र पचायत सदस्य हरियावाला कलां ब्लॉक सहसपुर

जिला पंचायत सदस्य
21 सुद्धोवाला
विकास खण्ड सहसपुर देहरादून

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र न्याय/ग्राम पंचायत
वि0खण्ड–सहसपुर, देहरादून

प्रपत्र-23-3

 (39)

Form – I
(For linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No......789...................... Date :-.....22/5/15......

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98 –FC (pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF irrued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.0752 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Uttarakhand (name of user agency) for Construction of Motor Road from Halduwala to Chawki Birabadi (purpose for diversion of forest land) in Distt. Dehradun falls within jurisdiction, Chawki, Birabadi village in Sahaspur Block Tehsil Vikasnagar.

It is further certified that :-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.0752 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 05.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it,

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl :- As above.

Signature

(Ravinath Raman)
Collector
Dehradun

District Magistrate
Dehra Dun.

प्रपत्र – 23.4

(60)

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT DEHRADUN (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognisition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Dehradun District, Constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Sri Ravinath Raman, I.A.S. District Collector Dehradun on Dt. 19/5/15... at Dehradun in which the applicant claiming rights in Sahaspur Block area measuring 1.0752 Hect. for the construction of Halduwala to Chawki-Birabadi Motor Road Tehsil Vikasnagar of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Dehradun Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place :- Dehradun
Dated :- / /2015

District Collector Cum Chairman
District Level Committee
Dehradun

District Magistrate
Dehra Dun.